प्रकरण सं 86/2024

हेमराज बनाम प्रभु

दिनांक	दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/25		पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप./वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु आदेशिका पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के आपत्ति/आक्षेप हेतु दिनांक 29/9/25 को पेश हो। 21/8/25	विभाजन प्रस्ताव स्वीकार है 21/8/2025
29/9/25		पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 21.08.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 वाद पत्र प्रस्तुतीकरण के उपरान्त बाद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण दिनांक 24.12.2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से, कब्जे एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 24.12.2024 को आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.07.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक भू.अ./विभाजन/ दिनांक 09.06.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्वयं के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं उपस्थित रहे। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान् के उपस्थित होने एवं विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 29/9/25 सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा	